वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2011

सं. 32/2011

का.आ. 1296(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के उप-खण्ड (15) के उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा संख्या सा.का.नि. 607(अ), दिनांक 9 जून, 1989 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"9.	डाकघर बचत बैंक खाता	व्यक्तिगत खाते के मामले में 3500 रु. तथा संयुक्त खाते के मामले में 7000 रु. के ब्याज तक"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 173/13/2011-आईटीए-I]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि. I)

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 607(अ) दिनांक 9 जून, 1989 के तहत प्रकाशित हुई थी ।

2073 GI/2011